

# न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/119/2024

रजू दिनांक: 29.08.2024

रजि0 न0 2024/213

अपीलार्थी:-

श्री बाबूलाल भीना, निवासी प्लॉट नं0 3, पुराना अशोका ईट भट्टा सैक्टर नं0 4, भीणा मंदिर के पास, विवेकानन्द नगर, अलवर, जिला अलवर-301001 (राजस्थान)

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---:: निर्णय ::---

दिनांक:- 30.09.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 06.06.2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 09.09.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2024/1831 दिनांक 24.09.2024 के द्वारा जवाब प्रेषित कर अवगत कराया है, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 06.06.2024 के संबंध में किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलने/विनिश्चय से अवगत नहीं कराये जाने बाबत सूचित किया है। अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 06.06.2024 के संबंध में पत्रांक 1015 दिनांक 25.06.2024 के माध्यम से अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर आवेदक को संसूचित किया जा चुका है जो कि अपीलार्थी को तामिल भी हो चुका है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आवेदन-अपील के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(क) के संबंध में कानूनी प्रक्रिया बाबत जानकारी चाही गई है जो कि अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) अंतर्गत लोक प्राधिकारियों द्वारा संरक्षित रखे जाने योग्य नहीं होने के कारण अदेय है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि सूचना आवेदन दिनांक 06.06.2024 के संबंध में पत्रांक 1015 दिनांक 25.06.2024 के माध्यम से विनिश्चय कर आवेदक को संसूचित किया जा चुका है साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आवेदन-अपील के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(क) के संबंध में कानूनी प्रक्रिया बाबत जानकारी चाही गई है जो कि अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) अंतर्गत लोक प्राधिकारियों द्वारा संरक्षित रखे जाने योग्य नहीं होने के कारण अदेय है। प्रत्यर्थी के द्वारा जरिये प्रतिलिपि पत्रांक सम/1832 दिनांक 24.09.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण में सूचना व अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचना अपीलार्थी को पुनः प्रेषित की जा चुकी है। अपील अपीलांत अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. उक्त आलोक में अपील अपीलांत अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फाइल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



(डॉ. आर्चिका शुक्ला)  
जिला कलक्टर अलवर  
(राजस्थान)